न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 74 / 2017

1 चुन्नीलाल पुत्र नारायणलाल।
2 ओमप्रकाश पुत्र गिरधारी।
3 सीताराम पुत्र गिरधारी समस्त जाति जाट निवासीगण कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नागरमल पुत्र धन्ना।
2 भगवानाराम पुत्र धन्ना।
3 पतासी देवी पत्नी बदरी प्रसाद।
4 महेश पुत्र बदरी प्रसाद।
5 ओमप्रकाश पुत्र बदरी प्रसाद।
6 सुरेश पुत्र बदरी प्रसाद।
7 भंवरलाल पुत्र मांगुराम।
8 सोनाराम पुत्र हनुमान।
9 हरलाल पुत्र हनुमान।
10 किशोर पुत्र हनुमान।
11 ब्रहमानन्द पुत्र धोकलराम समस्त जाति माली निवासीगण कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
12 नगरपालिका उदयपुरवाटी जरिये आयुक्त।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 रमेश पुत्र धोकलराम जाति माली निवासी कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
14 तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 08.06.17
बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा
उनवानी नागरमल आदि बनाम तहसीलदार आदि
मुकदमा नम्बर 38/2017

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जुगल किशोर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 6.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 38/2017 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 11 व 13 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र पेश किया जिसमें अपीलान्टस को बिना पक्षकार बनाये दिनांक 08.06.2017 को निर्णय पारित किया जिस निर्णय से अपीलान्ट प्रभावित होने के कारण धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 11 व 13 ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि वर्तमान नक्शासीट में दर्ज खसरा नम्बर 3256/3078 के स्थान पर 3258/3078 दुरूस्त किये जाने बाबत वाद पत्र पेश किया। जमीन हाल खसरा नम्बर 3070 कस्बा उदयपुरवाटी अपीलान्टस व उनके परिवार की सह खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 3256/3078 की जमीन अपीलान्टस की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 3078 से बनी है तथा खसरा नम्बर 3256/3078 की जगह की जमीन अपीलान्टस के कब्जे की जमीन है खसरा नम्बर 3078 में अपीलान्टस के रिहायशी मकान है। खसरा नम्बर 3256/3078 में से दक्षिण दिशा में से कुछ जमीन में से रास्ता गुजरता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मौके की कोई जांच नहीं की। खसरा नम्बर 3256/3078 जो हाल नक्शा सीट में दर्ज है के दक्षिण दिशा में रास्ता गुजरता है उक्त रास्ता के उत्तर दिशा में स्थित खसरा नम्बर 3256/3078 व खसरा नम्बर 3078 सम्पुर्ण पर अपीलान्टस का कब्जा है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 11 व 13 ने प्रभावित पक्षकार अपीलान्टस को बिना पक्षकार बनाये बाला बाला रूप से निर्णय जैर बहस पारित करवाया है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 11 व 13 ने अपने वाद पत्र में मनगढन्त तथ्य लिखकर दावा पेश किया है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार/पटवारी हल्का से मौके की कोई रिपोर्ट नहीं ली। बिना कब्जा काश्त की जांच किये विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं. 12 को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया। विवादित स्थल पर मौके पर आबादी बसी हुई है। गत नक्शासीट के मुताबिक मौके पर वर्तमान परिस्थिति विद्यमान नहीं है। गत खसरा नम्बर 3208 की जमीन भी शुरू से अपीलान्ट के कब्जा काश्त की रही है। हाल नक्शा सीट सन् 1978—80 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 3256/3078 पर मौके पर खसरा नम्बर 3078 का भाग होने के कारण उक्त जमीन पर शुरू से अपीलान्टस का कब्जा काश्त रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 11 व 13 ने विचारण न्यायालय के समक्ष

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कब्जे का तथ्य छुपाकर अपीलान्टस को बिना पक्षकार बनाये बाला बाला रूप से आलौच्य निर्णय पारित करवाया है। खसरा नम्बर 3256/3078 पर अपीलान्टस का कब्जा है। इस कारण अपीलान्टस आलौच्य निर्णय दिनांक 08.06.2017 से प्रभावित है। इस कारण आलौच्य निर्णय के विरूद्ध अपीलान्टस अपील पेश करने के अधिकारी है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर अपील स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में हाल खसरा नम्बर 3256/3078 एवं 3258/3078 की नक्शे में दुरूस्ती का वाद लम्बित था। विचारण न्यायालय द्वारा इन्ही भूमियों के संदर्भ में विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इन दोनों खसरा नम्बरों की खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज नहीं है। इन दोनों खसरा नम्बरों की भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त हो ऐसा कोई साक्ष्य अपीलांट ने दौराने अपील प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट न तो विवादित भूमि का खातेदार है, न ही विवादित भूमि पर काबिज है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हक किस प्रकार प्रभावित हो रहे है यह स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 96 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में हाल खसरा नम्बर 3256/3078 एवं 3258/3078 की नक्शे में दुरूस्ती का वाद लम्बित था। विचारण न्यायालय द्वारा इन्ही भूमियों के संदर्भ में विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इन दोनों खसरा नम्बरों की खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज नहीं है। इन दोनों खसरा नम्बरों की भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त हो ऐसा कोई साक्ष्य अपीलांट ने दौराने अपील प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट न तो विवादित भूमि का खातेदार है, न ही विवादित भूमि पर काबिज है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हक किस प्रकार प्रभावित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हो रहे है यह स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 96 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर